न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 212/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. परागाराम उर्फ प्रागाराम पुत्र श्री पंचाणाराम जाति कलबी निवासी जुना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी		1. जेठाराम पुत्र मोडाराम 2. देदाराम पुत्र मोडाराम 3. दानाराम पुत्र पंचाणाराम 4. नैनाराम पुत्र मोडाराम 5. हुआदेवी पत्नी मोडाराम 6. कदणोदेवी पत्नी बुधराराम जाति कलबी (फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 7 से 9) 7. कलाराम पुत्र बूधराम 8. डायाराम पुत्र बूधराराम (फौत के कायम मुकाम) 8/1– कोंकू पत्नि डायाराम 8/2– अमीयो पुत्री डायाराम 8/3– पांची पुत्री डायाराम 8/4– प्रियंका पुत्री डायाराम 8/5– रामाराम पुत्र डायाराम 8/6– सुरेश पुत्र डायाराम नाबालिग जरिए कुदरती माता कोंकुदेवी पत्नि डायाराम 9. सुजोदेवी पत्नी मिसराराम निवासी जुना मीठा खेडा 10. प्रबन्धक भूमि विकास बैंक बालोतरा 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री राजेश पटेल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 सें 10 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 11 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 21.05.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री राजेश पटेल की ओर से राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है के सलंग्नएक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। जिसके अनुसार कि प्रार्थी एव विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 10.0073 हेक्टेयर

सहायक कलक्टर
सिणधरी

तथा खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4562 हेक्टेयर मौजा जुना मीठा खेडा तहसील सिणधरी में आया हुआ है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 10. 0073 हेक्टेयर मौजा जुना मीठा खेडा तहसील सिणधरी में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा खातेदारी का है तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 4/105 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 2 का 4/105 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 4/105 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 5 का 1/35 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 6 का 1/7 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 7 का 1/7 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 8 का 1/7 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 9 का 1/7 हिस्सा खातेदारी तथा इसी प्रकार मौजा जुना मीठा खेडा के खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4562 हेक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 का 4/45 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 2 का 4/45 हिस्सा, प्रतिादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 4/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/15 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। वादीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य बाहमी तौर पर ही बंटवाडा हुआ था लेकिन राजस्व रैकर्ड में बंटवाडा न होने व सीमाज्ञान न होने की वजह से वादीगण एंव विप्रार्थीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है जबकि खसरा नम्बर 327 में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा विधिनुसार बनता है जबकि विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का हिस्सा अवैध व अनुचित रूप से हडप कर प्रार्थी को हमेशा के लिए उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित करने के आश्य से अवैध निर्माण करवाने पर आमदा है । तथा विप्रार्थीगण वादीगण को उसके हक व हिस्से की जमीन से महरूम करना चाहते है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने कब्जे एवं काश्त वाली भूमि खेत खसरा नम्बर 327 में 1/7 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 315 में 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर अपने उपरोक्त हिस्सेनुसार अपनी भूमि को बाई मीटीस एण्ड बोण्डस अलग करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि जब तक वादीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य जब तक विधिवत बंटवाडा न हो तब तक विप्रार्थीगण उक्त खसरो में किसी भी भू भाग का बेचान या हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं करे एवं मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत प्रार्थी एव विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 10.0073 हेक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4562 हेक्टेयर मौजा जुना मीठा खेडा तहसील सिणधरी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 01 से 10 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 10 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 10.0073 हेक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4562 हेक्टेयर मौजा जुना मीठा खेडा तहसील सिणधरी के प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी